

भारत सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  
विमुक्त, धुमंतु एवं अर्द्धधुमंतु समुदायों के विकास को बोर्ड  
2तल, 2 विंग, पश्चिम ब्लॉक 8, सैक्टर 1, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली.110066  
dwbdnc-msje@gov.in

दिनांक: 30.07.2021

सेवा में

निदेशक - बीसी-3,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  
ईमेल: tmaajid.ias@jk.gov.in

**प्रसंग:- उत्तर प्रदेश की विमुक्त जातियों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में।**

महोदया,

इस प्रसंग में कृपया बोर्ड के दिनांक 28/01/2021, 01/02/2021 एवं दिनांक 31/03/2021 के पत्रों का अवलोकन करने का निदेश हुआ है। आप को सूचित किया जाता है कि श्री मोहित तंवर एवं डॉ.बी.के.लोधी के द्वारा बोर्ड के संज्ञान में यह मामला लाया गया था।

2. इस संबंध में बोर्ड ने दिनांक 29-05-2020 के पत्र द्वारा प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताया गया कि विमुक्त, धुमंतु एवं अर्द्ध-धुमंतु जनजातियों पर नेशनल आयोग-इदाते आयोग की रिपोर्ट 2018 का संदर्भ लें जिसमें विमुक्त जनजातियों की राज्यवार सूची जारी की है।

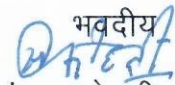
3. इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में इन समुदायों के लिए एक कनफर्मड सूची 1ए भी बनाई गई है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार इन समुदायों को दो सैट जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार कर सकती है जैसे इन समुदायों को जो ओबीसी भी हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र के दो सैट - एक ओबीसी और दूसरा विमुक्त के नाते विमुक्त जाति प्रमाण पत्र, इसी तरह विमुक्त जनजातियों में जो अनुसूचित जाति में हैं, उन्हें - एक अनुसूचित जाति और एक विमुक्त जाति होने के तौर पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

4. चूंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं इससे न केवल इन जातियों के सामुदायिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है अपितु यह इन समुदायों के छात्रों को स्कूलों में दाखिले और छात्रवृत्ति की योजनाओं से वंचित करता है।

5. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 20-01-2021 के पत्र द्वारा यह आग्रह किया है कि उनके द्वारा इदाते आयोग को दी गई स्वीकृति के पत्र की एक प्रति उन्हें उपलब्ध करवाए जिससे वे आगे की कार्रवाई कर सकें।

6. चूंकि इदाते कमीशन की रिपोर्ट जारी होने के उपरांत यह आयोग अब चलन में नहीं है इसलिए इससे संबंधित सभी रिकार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास होने चाहिए। तथापि अभी तक बीसी-3 द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी इस बोर्ड को उपलब्ध नहीं करवाई है और अब अवर सचिव श्री मोहित से प्राप्त अनुस्मारक पर बोर्ड को जरूरी कार्रवाई करने के लिए सूचित कर रहे हैं।

7. अतः आप से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त प्रसंग में माँगी गई स्वीकृति पत्र की एक प्रति तुरंत प्रधान सचिव सामाजिक कल्याण विभाग को सीधे भिजवाते हुए इस बोर्ड को भी यथास्थिति से अवगत करवाए जिससे इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जा सके।

भवदीय  


संजय कोहली

उपसचिव भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री राकेश कुमार सचान, उपसचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन-सूचनार्थ।
2. श्री मोहित तंवर
3. डॉ. बी.के.लोधी